नकल आदेश

न्यायायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली) ।

वाद सं0 460 /2008-09

धारा-143 जैड0ए0एल0आर0एक्ट
ग्राम : गंगापुर ता0 डबौरा परगना व
तहसील फरीदपुर जिला बरेली ।

सरकार बनाम सुरेन्द्र गंगवार

प्रस्तुत वाद राजस्व निरीक्षक क्षेत्र भुता की आख्या दिनांक 30-04-2008 धारा-143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम नियमावली के नियम 135 के अन्तंगत निर्धारित प्रारूप पर दी गयी है के आधार पर वाद पंजीकृत किया गया । राजस्व निरीक्षक ने अपनी आख्या में अवगत कराया है कि प्रश्नगत आराजी स्थित ग्राम गंगापुर ता0 डबौरा ,परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली का गाटा सं0-374 रकवा 0.126, गाटा सं0-366मि0 रकवा 0.126, गाटा सं0-394मि0 रकवा 0.126, गाटा सं0-382 रकवा 0.089 है0, गाटा सं0-359 रकवा 0.126, गाटा सं0-364 रकवा 0.071है0, गाटा सं0-365 रकवा 0.071, गाटा सं0-गाटा सं0-357 रकवा0.139, गाटा सं0-367 रकवा 0.190, गाटा सं0-गाटा सं0-368मि0 रकवा 0.097है0, गाटा सं0-384 रकवा 0.114, गाटा सं0-387 रकवा 0.089, गाटा सं0-375 रकवा 0.025 गाटा सं0-376 रकवा 0.025, गाटा सं0-377 रकवा 0.039, गाटा सं0-378 रकवा 0.025है0 कुल 17 किता रकवा 1.630है0 लगान 20-95 वर्तमान में आकृषिक भूमि प्रयोजन में आ रही है जिस पर प्रीति रूरल इंस्टीटयूट फार टैक्नालौजी एण्ड एजूकेशन(प्रीति कालेज) बना है । राजस्व निरीक्षक की उक्त आख्या के आधार पर तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी आख्या दिनांक 30-04-2008 उक्त आराजी को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है ।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रश्नगत आराजी कृषि उद्यानकरण मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन से असंबद्ध प्रयोजन के लिये प्रयोग हो रही है । इसलिये तहसीलदार, फरीदपुर की आख्या दिनांक 30-4-2008 के आधार पर प्रश्नगत आराजी को अकृषिक भूमि घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

अतः उपरोक्त के आधार पर ग्राम गंगापुर ता0 डबौरा परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली स्थित आराजी गाटा सं0-374 रकवा 0.126, गाटा सं0-366मि0 रकवा 0.126, गाटा सं0-394मि0 रकवा 0.126, गाटा स0-382 रकवा 0.089 है0, गाटा सं0-359 रकवा 0.126, गाटा सं0-364 रकवा 0.071है0, गाटा स0-365 रकवा 0.071, गाटा सं0-गाटा सं0-357 रकवा0.139, गाटा सं0-367 रकवा 0.190, गाटा स0-गाटा सं0-368मि0 रकवा 0.097है0, गाटा सं0-384 रकवा 0.114, गाटा सं0-387 रकवा 0.089, गाटा सं0-375 रकवा 0.025 गाटा सं0-376 रकवा 0.025, गाटा सं0-377 रकवा 0.039, गाटा सं0-378 रकवा 0.025है0 कुल 17 किता रकवा 1.630है0 लगान 20-95को जिस पर आबादी बनी है अकृषिक घोषित किया जाता है। ज0वि0अधि0 की धारा-143 तदविषयक नियमावली के नियम-137 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते है कि आदेश की दो प्रति उप निबंधक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक पंजीकृत कर अनुपालन उपरांत एक प्रति न्यायालय को वापस करें तदोपरांत खतौनी मे प्रविष्ट हेतु पत्रावली तहसीलदार, फरीदपुर को भेजी जाये । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

मा0 356/0.152

27.6.08
(मुनीश कुमार शर्मा)
उप जिलाधिकारी,फरीदपुर

दिनांक 27-06-2008

जिल्द नं0 1 के पृष्ठ संख्या 366 के क्रमांक 19 पर अध्यवसायर किया गया

दिनांक 19/4/17